

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विकास कुमार,
सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

रोवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शेखपुरा (न0प0), बरबीघा (न0प0), लखीसराय (न0प0) एवं बड़हिया(न0प0) का क्षेत्र भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय ज्ञापांक-8840 दिनांक -28.11.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि दिनांक- 02.12.2016 एवं 03.12.2016 को मैंने शेखपुरा (न0प0), बरबीघा (न0प0), लखीसराय (न0प0) एवं बड़हिया(न0प0) का क्षेत्र भ्रमण किया। उक्त क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित थे लेकिन नगर कार्यपालक पदाधिकारी बड़हिया उपस्थित नहीं पाये गये। मेरे द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसका प्रतिवेदन निकायवार निम्नवत् है:-

नगर पंचायत बड़हिया

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 02.12.2016

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री श्रीश चौहान

कुल वार्ड की संख्या- 24

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यक्तिगत शौचालय:-** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना अंतर्गत बड़हिया नगर पंचायत में अभी तक कुल 310 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षरोपरान्त लगभग सभी शौचालय में दरवाजा पाया गया एवं शौचालय का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है। सभी शौचालय चालू अवस्था में पाया गया। जिस शौचालय में दरवाजा नहीं पाया गया उसमें अविलम्ब दरवाजा लगवाने हेतु लाभार्थी को चेतावनी दिया गया। साथ ही भ्रमण के दौरान उपस्थित कनीय अभियंता को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

(2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) - इस घटक अंतर्गत कुल 24 वार्डों में से 15 वार्डों में Door to Door कचड़ा उठाव के बारे में जानकारी दी गई है लेकिन भ्रमण के दौरान सफाई व्यवस्था में कमी पायी गई। इसके अनुश्रवण हेतु कनीय अभियंता को निदेश दिया गया।

(3) सबके लिए आवास (HFA) - इस योजना अंतर्गत नगर पंचायत बड़हिया में अभी तक कुल- 57 लाभार्थी को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लाभार्थी के द्वारा आवास बनाते पाया गया। कुछ लाभुक द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उनके द्वारा राशि उपलब्ध कराने के संबंध में कहा गया। नगर पंचायत बड़हिया के City Manager द्वारा इस मद में राशि की कमी के बारे में बताया गया, जिसके चलते लाभुक को द्वितीय एवं अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

- (4) हर घर नल का जल "निश्चय" योजना - इस योजना अंतर्गत प्रति तीन वार्ड पर एक Boring कराने एवं पाईप कनेक्सन का योजना चयन कर बोर्ड से पारित कराया जा रहा है। तदुपरान्त निविदा प्रक्रिया के द्वारा कार्य आरंभ की जायेगी।
- (5) नाली-गली पक्कीकरण "निश्चय" योजना - इस योजना अंतर्गत प्रत्येक वार्ड से योजना चयन कर बोर्ड से पारित कराकर निविदा प्रक्रिया के द्वारा कार्य आरंभ करने के संबंध में जानकारी दी गई।
- (6) ODF - अभी तक एक भी वार्ड ODF घोषित नहीं किया गया है, लेकिन एक सप्ताह में 10 से 12 वार्ड ODF घोषित करने के संबंध में जानकारी दी गई।
- (7) AMRUT- यहां लागू नहीं है।
- (8) IHSDP- यहां लागू नहीं है।
- (9) RAY- यहां लागू नहीं है।
- (10) DAY NULM - यहां लागू नहीं है।

नगर परिषद लखीसराय

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 03.12.2016

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री संतोष कुमार रजक

कुल वार्ड की संख्या- 33

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)- इसके अंतर्गत लखीसराय नगर परिषद में अभी तक कुल 378 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1470 का प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षरोपरान्त कुछ शौचालय में दरवाजा नहीं पाया गया, जिसके लिए लाभार्थी को अविलम्ब दरवाजा लगाने का चेतावनी दिया गया। साथ ही नगर परिषद कनीय अभियंता को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

(2) सबके लिए आवास (HFA) - लखीसराय नगर परिषद में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत कुल 145 आवास Sanctioned हुआ है जिसमें अभी तक 22 लाभार्थी को प्रथम किस्त, 06 लाभार्थी को द्वितीय किस्त एवं 34 लाभार्थी को कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। स्थल निरीक्षोपरान्त आवास निर्माण कराते हुए पाया गया। कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया।

(3) हर घर नल का जल "निश्चय" योजना - इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर बोर्ड से पारित कराने के बाद निविदा प्रक्रियाधिन है।

(4) नाली-गली पक्कीकरण "निश्चय" योजना - इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर बोर्ड से पारित कराने के बाद निविदा प्रक्रियाधिन है।

(5) AMRUT- यहां लागू नहीं है।

(6) IHSDP- यहां लागू नहीं है।

(7) RAY- यहां लागू नहीं है।

(8) DAY NULM - इसके अंतर्गत दो ट्रेनिंग सेंटर पर Tally एवं DTP का प्रशिक्षण कार्य क्रम चल रहा है।

नगर परिषद शेखपुरा

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 03.12.2016

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री सुनील कुमार

कुल वार्ड की संख्या- 27

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)- इसके अंतर्गत अभी तक कुल 883 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1161 का प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा

- बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षरोपरान्त शौचालय में दरवाजा एवं गुणवत्ता में कमी पायी गयी। जिसके अनुश्रवण करने हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।
- (2) सबके लिए आवास (HFA) – इसके अंतर्गत कुल 144 आवास Sanctioned है जिसमें अभी तक 26 को कार्य आदेश दिया जा चुका है। प्रथम किस्त का भुगतान किसी को नहीं किया गया है। राशि विलम्ब से मिलने के कारण योजना का क्रियान्वयन धीमी गति से हो रही है।
- (3) हर घर नल का जल “निश्चय” योजना – इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर बोर्ड से पारित कराने के बाद निविदा प्रक्रियाधिन है।
- (4) नाली-गली पक्कीकरण “निश्चय” योजना – इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर बोर्ड से पारित कराकर निविदा प्रक्रियाधिन है।
- (5) AMRUT- यहां लागू नहीं है।
- (6) IHSDP- यहां लागू नहीं है।
- (7) RAY- यहां लागू नहीं है।
- (8) DAY NULM - इसके अंतर्गत वार्ड नं०- 26 में एक रैन बसेरा का कार्य निर्माणाधीन पाया गया, जिसका प्राक्कलित राशि 4267810/- ₹00 है। संवेदक का नाम एस0के0टी0पी0एल स्टेशन रोड शेखपुरा है।

नगर पंचायत बरबीघा

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 03.12.2016

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री दिनेश कुमार सिंह


कुल वार्ड की संख्या- 23

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यतिरिक्त घरेलू शौचालय (IHHL)**– इसके अंतर्गत अभी तक कुल 268 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 371 शौचालय निर्माणाधिन है क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ शौचालय में दरवाजा की कमी एवं उपयोग में नहीं पाया गया, जिसके लिए लाभार्थी को हिदायत दी गई है एवं इसके अनुश्रवण करने हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

- (2) सबके लिए आवास (HFA) – इसके अंतर्गत नगर पंचायत बरबीघा में कुल 244 आवास Sanctioned है जिसमें अभी तक 13 को कार्य आदेश दिया जा चुका है एवं कुल 04 को प्रथम किस्त की राशि दिया गया है। जमीन की समस्या के चलते कार्य की गति धीमी है, कार्य में गति लाने हेतु निदेश दिया गया।
- (3) हर घर नल का जल “निश्चय” योजना – इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर बोर्ड से पारित कराने के बाद निविदा प्रक्रिया के द्वारा कार्य आरंभ की जाएगी।
- (4) नाली-गली पक्कीकरण “निश्चय” योजना – इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर बोर्ड से पारित कराकर निविदा प्रक्रिया के द्वारा कार्य आरंभ करने के संबंध में जानकारी दी गई।
- (5) AMRUT- यहां लागू नहीं है।
- (6) IHSDP- यहां लागू नहीं है।
- (7) RAY- यहां लागू नहीं है।

विश्वासभाजन,



सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।